पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सेवा हि धर्म:
1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक 07221
Date / दिनांक 08/07/2020
Patna Municipal Corporation
Date:- 08-07-2020
2020207221
http://pmc.bihar.gov.in

# आदेश

पटना नगर निगम के सभी अंचलों से प्राप्त माह मई 2020 एवं जुन 2020 के लिए अधियाचित राशि के आलोक में ईंधन विपत्रों के भुगतान हेतु निम्न विवरण के अनुसार निगम कोष से राशि हस्तानांतरित करने का आदेश दिया जाता है।

| क्रम सं० | अंचल का नाम | निगम कर संग्रहण कोष |
|---|---|---|
| 1. | अजीमाबाद अंचल | 1,22,09,362.00 |
| 2. | बाँकीपुर अंचल | 50,00,000.00 |
| 3. | कंकड़बाग अंचल | 22,00,000.00 |
| 4. | पटना सिटी अंचल | 33,09,040.00 |
| 5. | पाटलीपुत्र अंचल | 65,00,000.00 |
| 6. | नूतन राजधानी अंचल | 1,00,00,000.00 |
| 7. | जलापूर्ति अंचल | 3,34,500.00 |
| | कुल योगः– | **3,95,52,902.00** |

**संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी निम्नांकित शर्त्तों के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगेः–**

1. आवंटित की जा रही राशि का शत–प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में साक्ष्य सहित (कैश बुक एवं अन्य की अभिप्रमाणित छायाप्रति) अगले माह के अधियाचना के साथ/पूर्व अचूक रुप से संलग्न/भेजना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा अधियाचित राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा एवं पूर्ण जिम्मेदारी पूर्णरुपेण आपकी होगी।
2. राशि का भुगतान संबंधी संस्था/व्यक्ति को CFMS/RTGS/ हस्तानान्तरण के माध्यम से ही किया जायेगा।
3. जिस मद में राशि का हस्तानान्तरण किया जा रहा है, उसी मद में भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन मान्य नहीं होगा।
4. भुगतान की गयी राशि का विपत्र संबंधित संस्था/व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्राप्त करना होगा। जिसपर कार्यपालक पदाधिकारी जाँचोपरान्त हस्ताक्षरित करेंगे।
5. भुगतान की गई राशि का विपत्र विवरण लेखाबही में संधारित करना होगा जो कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सत्यापित रहेगी।
6. कार्यपालक पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राशि का भुगतान दोबारा नहीं की जा रही है एवं संबंधित व्यक्ति/संस्था को ही वित्तीय नियमावली के प्रावधानों तहत आवश्यक कटौती के पश्चात् की जा रही है।
7. भुगतान पूर्व अंचल में प्रतिनियुक्त C.A. Consultant से विपत्रों की सम्पूर्ण जाँच आवश्यक है, तत्पश्चात ही भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. राशि के भुगतान में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

8.7.2020

**नगर आयुक्त,**
पटना नगर निगम।

**प्रतिलिपिः**–सभी कार्यपालक पदाधिकारी, को अनुपालनार्थ प्रेषित एवं अपर नगर आयुक्त (स्था०) पटना नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

**नगर आयुक्त,**
पटना नगर निगम।

8/7/2020 8/7/2020 8.7.2020